न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 128/2019 (2019/00128)

1. रामदयाल सिह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी राहडू का बास पोस्ट लाधूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राजस्थान। —**अपीलार्थी**

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र बेगाराम
2. महावीर पुत्र बेगाराम
3. परमेश्वरी पत्नी नौरंगराम
4. राजकुमार पुत्र नौरंगराम
5. अशोक पुत्र नौरंगराम

} जाति जाट साकिन लाधूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राजस्थान

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़।

— **रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, आदेश दिनांक 21.06.2018, प्र. सं. 283/2015

भगवान नारायण सिंह बनाम रामदयाल सिंह आदि

उपस्थितिः—

श्री विजयसिंह कड़वासरा, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 8.9.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वाद पेश किया जिसमें कथन कियाकि रोही मौज धानसिया तहसील नोहर के खसरा नं. 278/330 खसरानं. 78/2 की 2.0746 है0 व खाता सं0 279/141 के खसरा नं. 84/3 के खसरा नं. 56 की 2.4035 है0 व खसरा नं. 112/21 की 1.8848 है0 तथा वादी ने अपने हिस्साकसी की 5.64184 है0 भूमि वादी को उसके पिता ने बंटवारा में आज से करीबन 40 वर्ष पहले दी थी तथा वादी विकलांग था इसलिए उक्त भूमि अन्य भाईयों से पहले बंटवारा में दी थी। वादी तीनों खातों की 5.64184 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। वादी ने उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया अपीलाण्ट की कोई सुनवाई नहीं की गई। बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। कानूनन सह काश्तकार के खिलाफ उसे बिना सुने कोई भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मातहत अदालत ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट की भावनाओं के खिलाफ जाते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपने हिस्सा कसी की 5.64184 है0 भूमि वादी को उसके पिता ने बंटववारा में आज से करीबन 40 वर्ष पहले दी थी तथा वादी विकलांग था इसलिए उक्त भूमि अन्य भाईयों से पहले बंटवारा में दी थी। भूमि मुश्तर्का खाते की है। वादी तीनों खातों की 5.64184 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रश्गनत भूमि रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में है। वादी ने उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा था जो विधि सम्मत प्रक्रिया अपना कर कैम्प कोर्ट में स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (2) पेज 1301, 2016 (1) पेज 113, 2016–17 आरआरटी पेज 714 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया अधीनस्थ पत्रावली की फर्द अहकाम दिनांक 08.01.2018 में अंकित है कि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन रजिस्टर्ड पेश नहीं किये पूर्व में काफी अवसर समय दिया जा चुका है। रजिस्टर्ड सम्मन प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। इसके बाद दो और तारीख पेशी दी गई जिनमें सम्मन जारी करने के संबंध कोई उल्लेख नहीं है। दिनांक 21.06.2018 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की तलबी करवाये बिना एवं उसकी सुनवाई किये बिना पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं। कानूनन सह काश्तकार के खिलाफ उसे बिना सुने कोई भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.20 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/20

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)